फर्द अहकाम

(नियम 26)

# अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
## जिला हनुमानगढ

## सुनील कुमार बनाम चोथूराम आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 258 / 2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ |
|---|---|---|
| 16.10.2024 | यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे ।<br><br>वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है ।<br><br>अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता स0 193/185 की कुल 14.6870 हैक्ट भूमि में से 20133/587480 हिस्सा भूमि व खाता स0 208/201 के ख0न0 338 की कुल 3.9580 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उपरोक्त स्थगन चालु रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 21.11.2024 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>नोहर | |
| 21/11/24 | पत्रावली पेश हुई श्रीमान्जी पी.ओ. साहब .. [illegible] .....[illegible]..... [illegible] ..... [illegible]<br>पत्रावली दि0 17/1/25 को पेश हो। | |
| 23/12/24 | वकील सायल/सायल के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई वकील सायल/सायल ने निवेदन किया की उभय पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो गया इसलिये यह प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहता खारिज किया [illegible] स्वयं के द्वारा प्राथमिक [illegible] कारण प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>नोहर | सुनील<br>पहचानकर्ता |

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:05 IST
Reason: SelfAttested